



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैर-इरादतन हत्या के अभियोग में अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/-रुपए के अर्थदण्ड की सजी दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं०-224/2020 धारा-304 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त देवसिंह उर्फ कल्लू पुत्र दयाशंकर निवासी ग्राम नन्दना थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



एडीजीसी क्रि०
चन्द्रप्रकाश गोस्वामी



विवेचक-
उ०नि० धनंजय
कुमार



पैरोकार
थाना-राठ
का० सर्वज्ञ